न्यायालय श्री जगजीत सिंह मोंगा, RAS अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 69/2018 (जीसीएमएस संख्या : 2018/00105)

सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

गिरिराज शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, जाति–ब्राह्मण, निवासी–आकोडिया, तहसील–चाकसू।

अप्रार्थी,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :–

1. श्री प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थी असालतन वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय **दिनांक : 15.02.2021**

तहसीलदार, चाकसू द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि ग्राम–आकोडिया की आराजी खसरा नं0 548 रकबा 14 बिस्वा भूमि माफी देन ठिकाना मन्दिर श्री सीताराम जी विराजमान देह अहतमाम पुजारी मोतीदास चेला गोपालदास कौम स्वामी सा0 देह कदीम (देन ठिकाना) मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2008–2023 में दर्ज थी जो कालान्तर में एकीकरण विभाग ने बिना किसी वैध अधिकार के माफी देन ठिकाना मन्दिर श्री सीताराम जी विराजमान देह अहतमाम पुजारी मोतीदास चेला गोपालदास कौम स्वामी सा0 देह कदीम (देन ठिकाना) के बजाय मोतीदास चेला गोपालदास स्वामी सा0 देह के नाम दर्ज कर दी तत्पश्चात् बेचान होने पर नामान्तरकरण संख्या–411 द्वारा क्रेता गिरिराज शर्मा पुत्र रामेश्वर प्रसाद दर्ज होकर जमाबन्दी संवत् 2071–2074 में गिरिराज शर्मा के नाम खातेदारी दर्ज है जो पुनः माफी देन ठिकाना मन्दिर श्री सीताराम जी विराजमान देह के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहा। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2008–2023 के कॉलम सं0 04 नाम उपभोक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान में माफी देन ठिकाना मन्दिर श्री सीताराम जी विराजमान देह अहतमाम पुजारी मोतीदास चेला गोपालदास कौम स्वामी सा0 देह कदीम (देन ठिकाना) दर्ज थी जो बिना किसी वैध अधिकार के एकीकरण विभाग ने माफी देन ठिकाना मन्दिर श्री सीताराम जी विराजमान देह अहतमाम पुजारी मोतीदास चेला गोपालदास कौम स्वामी सा0 देह कदीम (देन ठिकाना) के बजाय मोतीदास चेला गोपालदास स्वामी सा0 देह के नाम दर्ज कर दी तत्पश्चात् बेचान होने पर नामान्तरकरण संख्या–411 क्रेता गिरिराज शर्मा पुत्र रामेश्वर प्रसाद दर्ज होकर जमाबन्दी संवत् 2071–2074 में गिरिराज शर्मा के नाम खातेदारी दर्ज है। जो अनुचित हैं और बिना वैध व बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। मन्दिर/मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, शाश्वत नाबालिग के हितो की रक्षा करना सरकार का दायित्व है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग स्वयं काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गऐ है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेंगे अतः इन्द्राजों को निरस्त कर विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी देन ठिकाना मन्दिर श्री सीताराम जी विराजमान देह के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने विद्वान् राजकीय अभिभाषक की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) सम्वत् 2008–2023 भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2008–2023 में माफी देन ठिकाना मन्दिर श्री सीताराम जी विराजमान देह दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक

दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। देवमूर्ति की आराजी पर यदि पुजारी अथवा अन्य द्वारा काश्त भी की गई है तो भी खातेदारी अधिकार पुजारी अथवा अन्य को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। माफी देन ठिकाना मन्दिर श्री सीताराम जी विराजमान देह की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित माफी देन ठिकाना मन्दिर श्री सीताराम जी विराजमान देह की भूमि का इन्द्राज एकीकरण विभाग द्वारा मोतीदास चेला गोपालदास स्वामी सा0 देह के दर्ज किया गया है तत्पश्चात् विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप विक्रय किये जाने पर नामान्तरकरण संख्या–411 दिनांक 05.06.2012 गिरिराज शर्मा के नाम किये जाने के फलस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 में गिरिराज शर्मा के नाम दर्ज है। माफी देन ठिकाना मन्दिर श्री सीताराम जी विराजमान देह नाबालिग की आराजी को बिना किसी अधिकार के अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये निजी खातेदारी का इन्द्राज किया गया है तथा पश्चात्वर्ती विक्रय के फलस्वरूप जरिये नामान्तरकरण संख्या 411 ग्राम आकोडिया गिरिराज शर्मा के नाम दर्ज किया गया है जो प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं ऐसी स्थिति में इन इन्द्राजों को निरस्त कर उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी खसरा नं0 548 रकबा 14 बिस्वा जिसके हाल खसरा नं0 1538/2312 रकबा 0.18 है0 वापिस माफी देन ठिकाना मन्दिर श्री सीताराम जी विराजमान देह के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को दिनांक 24.03.2021 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगजीत सिंह मोंगा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर